

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्यप्रमंडल-2, सिवान

पटना, दिनांक-.....

विषय:- राज्य में चालू कब्रिस्तानों की घेराबंदी योजना अन्तर्गत योजना का क्रियान्वयन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के माध्यम से कराने के लिए, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यप्रमंडल-2, सिवान को वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-6823, दिनांक-21.07.2016 के आलोक में कुल ₹०50.00 लाख (पचास लाख) मात्र का आवंटन।

महाशय,

चालू योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-6823, दिनांक-21.07.2016 के आलोक में वर्ष 2016-17 में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्यप्रमंडल-2, सिवान के कार्यपालक अभियंता को कॉलम-5 में अंकित राशि का आवंटन की स्वीकृति दी जाती है:-

| क्र० सं० | स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यप्रमंडल के नाम | कार्यप्रमंडल मुख्यालय का नाम | वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्व में आवंटित राशि (रु० लाख में) | वित्तीय वर्ष 2016-17 में वर्तमान आवंटित राशि (रु० लाख में) | कुल आवंटित राशि (रु० लाख में) |
|------------------------|--|------------------------------|--|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल-2 | सिवान | 30.00 | 50.00 | 80.00 |
| (कुल आवंटन - पचास लाख) | | | | | |

2. योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने तथा कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति की समीक्षा करने का दायित्व संबंधित जिला पदाधिकारी का होगा। कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था का संधारण जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से करेंगे।

3. यह राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य शीर्ष 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-60 अन्य समाज सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-लघुशीर्ष-051-निर्माण उपशीर्ष-0101 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हेतु मांग सं०-22, प्राथमिक ईकाई संख्या-53-01 मुख्य निर्माण कार्य तथा राज्य योजना स्कीम-HOM-5425 एवं विपत्र कोड संख्या-पी०-4235600510101 के अन्तर्गत विकलनीय होगी।

4. यह राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित योजना उद्ध्यय के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है।

5. इसके नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव, गृह विभाग होंगे।

6. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्यप्रमंडल के कार्यपालक अभियंता होंगे। वे राशि की निकासी हेतु वित्त विभाग के परिपत्र सं०-4989, दिनांक 16.05.2013 में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

7. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

8. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन में वित्त विभाग के स्थायी अनुदेश सं०-2561, दिनांक 17.04.98 का अनुपालन किया जायेगा।

9. संबंधित कार्यपालक अभियंता आवंटित राशि से संबंधित व्यय विवरणी और उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमित रूप से गृह विभाग को जिला पदाधिकारी के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

10. संबंधित कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि आवंटित राशि को CTMIS में ऑनलाईन कराते हुए उसकी निकासी सुनिश्चित करेंगे।

11. प्रधान महालेखाकार, बिहार एवं झारखंड के पत्रांक-448, दिनांक 26.02.2003 के अनुसार इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. आवंटित राशि के विरुद्ध व्यय की गई राशि का लेखा सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराते हुए ससमय विभाग को प्रतिवेदन भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन
ह0/-

(जितेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के विशेष सचिव

फैक्स
डाक

ज्ञापांक:- पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, सिवान/जिला कोषागार पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि:- संयुक्त निदेशक, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 6921 पटना, दिनांक - 22-7-16
प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव
22/07/16